संख्या : 1752 /सत्रह–म–2013,–6–9–(192)/2013

प्रेषक,

क्षेत्रपाल,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0,लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ : दिनांक: 22 अगस्त,2013

विषय : राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत इन्टीग्रेटेड फिश फार्मिंग हेतु डिमान्सट्रेशन साइट्स के विकास की योजना की गाइड लाइन के सम्बंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 379/नियो0शा0/रा0कृ0वि0यो0/दिनांक 08 जुलाई, 2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत इन्टीग्रेटेड फिश फार्मिंग हेतु डिमान्सट्रेशन साइट्स के विकास योजना के कियान्वयन की निम्नलिखित दिशा–निर्देशों (गाइड लाइन) के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करे :–

परियोजना का संक्षिप्त विवरण :–

प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या एवं कृषकों के सीमित संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए कृषकों की आय में वृद्धि करना आज के युग में कृषकों के हितों के लिये नितान्त आवश्यक है। कृषि विविधीकरण के माध्यम से मत्स्य कृषकों के तालाबों पर मत्स्य पालन के साथ, उद्यान एवं पशुपालन की गतिविधियों का समन्वित रूप से अधिकाधिक उपयोग करते हुए निवेश लागत घटाकर अधिक आय अर्जित करने के उद्देश्य से प्रदर्शन इकाईयों की स्थापना परियोजना का उद्देश्य है।

इस परियोजना के माध्यम से निजी क्षेत्र के 0.5 हेक्टेअर के तालाब का सुधार कर तालाब के बन्धों को उद्यान, कृषि एवं पशुपालन में विकसित करना है, ताकि एकीकृत मत्स्य पालन को बढ़ावा देकर क्षेत्र के स्थानीय किसानों को इस ओर आकर्षित किया जा सके। तालाबों के बन्धों पर बाड़ा बनाकर मुर्गी पालन या बत्तख पालन या शूकर पालन या पशुपालन के साथ–साथ बन्धों पर बागवानी अथवा शाक–भाजी की पैदावार कर मत्स्य पालकों की आय में वृद्धि सुनिश्चित की जा सकेगी।

परियोजना का कार्यक्षेत्र :–

इस परियोजना में प्रदेश के 25 जनपदों में कुल 50 लाभार्थियों के तालाबों का एकीकृत मत्स्य पालन (डेयरी, कुक्कुट, सूकर, बत्तख, बागवानी आदि) डिमास्ट्रेशन साइट्स इकाईयों की स्थापना करने का लक्ष्य निम्नानुसार प्राविधानित है –

क्र0	जनपद का नाम	भौतिक लक्ष्य		वित्तीय लक्ष्य (धनराशि लाख में)
		संख्या	क्षेत्रफल(हे0)	
1	आजमगढ़	02	1.00	1.50
2	मऊ	02	1.00	1.50
3	बलिया	02	1.00	1.50

4	इटावा	02	1.00	1.50
5	गोरखपुर	02	1.00	1.50
6	महराजगंज	02	1.00	1.50
7	देवरिया	02	1.00	1.50
8	कुशीनगर	02	1.00	1.50
9	संतकबीरनगर	01	0.50	0.75
10	फैजाबाद	01	0.50	0.75
11	सुल्तानपुर	01	0.50	0.75
12	बाराबंकी	02	1.00	1.50
13	गोण्डा	02	1.00	1.50
14	बहराइच	02	1.00	1.50
15	श्रावस्ती	02	1.00	1.50
16	बरेली	02	1.00	1.50
17	पीलीभीत	02	1.00	1.50
18	बिजनौर	02	1.00	1.50
19	रायबरेली	02	1.00	1.50
20	सीतापुर	02	1.00	1.50
21	हरदोई	05	2.50	3.75
22	लखीमपुरखीरी	02	1.00	1.50
23	वाराणसी	02	1.00	1.50
24	गाजीपुर	02	1.00	1.50
25	जौनपुर	02	1.00	1.50

लाभार्थी चयन का मापदण्ड :–

लाभार्थी का चयन जनपद स्तर पर गठित निम्न समिति द्वारा किया जायेगा –

1– मुख्य विकास अधिकारी — अध्यक्ष

2– मण्डलीय उप निदेशक मत्स्य — सदस्य

3— सहायक निदेशक मत्स्य /
मुख्य कार्यकारी अधिकारी — सदस्य सचिव

ऐसे व्यक्ति जिनके पास न्यूनतम 0.5 हे0 क्षेत्रफल का निजी तालाब हो इस परियोजना हेतु पात्र होंगे। लाभार्थियों के पारदर्शी चयन हेतु समुचित प्रचार–प्रसार एवं समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित कर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेगें एवं चयनित लाभार्थियों की सूची मत्स्य निदेशालय, उ0प्र0 को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी। संबंधित जनपद में पात्र लाभार्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में संबंधित क्षेत्रीय उप निदेशक मत्स्य अपने कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आवंटित लक्ष्य की सीमा तक अन्य जनपद में नियमानुसार लाभार्थी चयन कराने हेतु अधिकृत होंगे। लाभार्थी चयन के समय लाभार्थी की मत्स्य पालन के प्रति अभिरूचि, लगनशीलता, उद्यमशीलता के सामर्थ्य को भी ध्यान में रखा जाये।

भौतिक कार्यपूर्ति का माप दण्ड

1— लाभार्थी के चयन के उपरान्त स्थल का प्रारम्भिक सर्वेक्षण मत्स्य पालक विकास अभिकरण के तकनीकी स्टाफ द्वारा किया जायेगा एवं निरीक्षण रिपोर्ट सम्बन्धित सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी ।

2— सम्बन्धित मण्डलीय एवं जनपदीय अधिकारी के संयुक्त स्थलीय सत्यापन व फोटोग्राफी के उपरान्त निर्माण कार्य का प्रारम्भ लाभार्थी द्वारा अपने अंश धनराशि (50 प्रतिशत) से कराया जायेगा। उक्त कार्यपूर्ण उपरान्त अनुदान धनराशि लाभार्थी को दो किश्तों यथा 50:50 के अनुपात में लाभार्थी को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रत्येक किश्त के उपरान्त स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट के साथ फोटोग्राफी कराना अनिवार्य होगा।

3— लाभार्थी के बैंक ऋण की दशा में सम्बन्धित स्वीकृतकर्ता बैंक परियोजना की धनराशि का वितरण दो किश्तों में करेगा। प्रथम किश्त धनराशि का सुधार कार्य/दुधारू पशुओं के क्रय में उपयोग के उपरान्त मत्स्य विभाग की सत्यापन रिपोर्ट व फोटोग्राफी सम्बन्धित बैंक को उपलब्ध कराया जायेगा तदोपरान्त बैंक परियोजना की द्वितीय किश्त लाभार्थी को उपलब्ध करायी जायेगी ।

4— लाभार्थी द्वारा परियोजान्तर्गत निम्न प्रति यूनिट इकाई लागत अनुसार कार्य सम्पादित कराया जायेगा।

क्र0	मद	धनराशि (रू0)
1	**अनावर्ती व्यय** तालाब सुधार (खुदाई, बन्धों की मरम्मत, इनलेट/आउटलेट की व्यवस्था आदि)	30,000
2	दुधारू पशुओं/बत्तखों/मुर्गियो का क्रय (दो गाय/भैंस)	40,000
3	जलापूर्ति व्यवस्था (शैलो ट्यूबवेल व 5 एच0पी0 पम्पसेट स्थापित करना)	30,000
	योग (क)	**1,00,000**
4	**आवर्ती व्यय** मत्स्य पालन निवेश पर व्यय (बीज, आहार, उर्वरक, डीजल आदि)	30,000
5	दुधारू पशुओं के पूरक आहार पर व्यय	10,000
6	बागवानी पर व्यय (पपीता, केला आदि पौधों का क्रय)	5,000
7	अन्य आकस्मिक व्यय	5,000

	योग (ख)	50,000
	कुल योग–	1,50,000

परियोजना धनराशि रू0 1,50,000.00

5–परियोजना से अनुमानित आय/लाभ

(क) सकल आय (रू0)

1.मछली की बिक्री से आय (1500 कि0ग्रा0@ रू0 30/– प्रति कि0ग्रा0)	–	45,000
2.दुधारू पशुओं से आय (4000 ली0/वर्ष @ रू0 12/– प्रति ली0)	–	48,000
3.बागवानी से आय	–	7,000
कुल आय–	–	**1,00,000**
4 .आवर्ती व्यय (मत्स्य/डेयरी/बागवानी)	–	50,000
5. शुद्ध लाभ	–	**50,000**

लाभ–लागत अनुपात– 2:1

6– जनपदीय अधिकारी द्वारा परियोजना का समयबद्ध कार्यान्वयन हेतु निम्नानुसार समय सारणी का निर्धारण किया गया है।

क्र0सं0	कार्य का नाम	माह
1	योजना का प्रचार–प्रसार एवं लाभार्थी का चयन	जुलाई व अगस्त 2013
2	स्थलीय सत्यापन, फोटोग्राफी एवं प्रांकलन/परियोजना तैयार कराना	सितम्बर 2013
3	लाभार्थी अंश की धनराशि के सापेक्ष कार्य प्रारम्भ कराना	अक्टूबर 2013
4	अनुदान किश्तों के सापेक्ष कार्य सम्पन्न कराना	नवम्बर व दिसम्बर 2013
5	कार्य पूर्ण सत्यापन व फोटोग्राफी	दिसम्बर 2013 व जनवरी 2014

वित्त पोषण

परियोजना की कुल इकाई लागत का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में योजना में देय होगा। शेष 50 प्रतिशत बैंक ऋण अथवा लाभार्थी को स्वयं के संसाधनों से वहन करना होगा। इस प्रकार स्थापित इकाईयों को अन्य मत्स्य पालकों हेतु प्रदर्शन स्थल के रूप में प्रयोग किया जायेगा।

परियोजना का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण–

परियोजना के सफल कार्यान्वयन हेतु त्रिस्तरीय अनुश्रवण तालाब सुधार/निर्माण, दुधारू पशुओं का क्रय, पौधरोपण/बागवानी, निवेश सामग्री के उपयोग एवं मत्स्याखेट के समय जनपद एवं मण्डल स्तर पर किया जायेगा जिसका औचक सत्यापन समय–समय मुख्यालय स्तरीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। परियोजना अवधि में महत्वपूर्ण घटना क्रमों का साक्ष्य फोटो/विडियो ग्राफी के माध्यम से जनपद स्तर पर अभिलेखार्थ सुरक्षित किया जायेगा।

परियोजना के सम्भावित आउटकम्स –

- कृषक की आय में वृद्धि।
- मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि।
- कृषि विविधीकरण के माध्यम से एकीकृत मत्स्य पालन तालाब का प्रदर्शन।
- मत्स्य पालकों को नई तकनीकी अपनाने हेतु प्रोत्साहन

भवदीय

(क्षेत्रपाल)
उप सचिव

संख्या : 1752 (1)/ सत्रह–म–6–9–(192)/2013 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार,कार्यालय (लेखा परीक्षा) प्रथम,उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. वित्त एवं लेखाधिकारी,मत्स्य निदेशालय लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी उ0प्र0।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/सहायक निदेशक मत्स्य/अधिशासी निदेशक मत्स्य पालक विकास अभिकरण उ0प्र0।
5. समस्त मण्डलीय उप निदेशक मत्स्य उ0प्र0।
6. वित्त(व्यय नियंत्रण)अनु0–2 वित्त (आय–व्ययक)अनुभाग–1/नियोजन–3/कृषि अनुभाग–3
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(क्षेत्रपाल)
उप सचिव